न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :– 60/2017

1 लालूराम पिता बालू जी जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तहसील बेगूँ
2 सीताराम पिता डूगा जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1 ममता कुमारी पिता स्व0 शिवलाल जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ
2 संजु कुमारी पिता स्व0 शिवलाल जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ
3 पुजा पिता स्व0 शिवलाल जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ
4 कैलाशचन्द्र पिता नारायणलाल जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ
5 सुरेश चन्द्र पिता नारायणलाल जाति धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ
6 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय जी.एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा बेगूँ तह0 बेगॅ
7 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
8 श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महादेय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द्र धाकड
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 17.07.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत छः तक के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 14 आराजी संख्या 361 रकबा 0.6960 हैक्टर भूमि ग्राम चंदाखेउी पटवार हल्का शादी मतें स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, संयुक्त कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से विभाजन कर अलग अलग बुवाई कर उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्यसा एक में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 14 व आराजी संख्या 361 में वादीगण का 1/3 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादपत्र में अंकित उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व में चली आ रही है। इस कारण से प्रत्येक खातेदार को भूमि पर ऋण लेने में दिक्कत आती है भूमि का लगान अदा करने में भी एवं भूमि का अपनी इच्छानुसार विकास कराने में भी सहखातेदार में हमेशा विवाद होता रहता है। इस कारण वादीगण ने सभी प्रतिवादीगण को दिनांक 17.06.207 को तहसील में चल कर भूमि का राजस्व रेकार्ड के अनुसार विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण भूमि के विभाजन कराने में आना कानी की तथा भोतिक रूप से विभाजन किये जाने के लिए भी इन्कार किया है इस कारण वादीगण को अपने हिस्से का विभाजन कराने के लिए चयह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 17.06.2017 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसील मे चलकर रेकार्ड का हिस्सा अनुसार विभाजन करा वादीगण का हिस्सा पृथक रूप से दर्ज कराये जाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय जी जरिये एच डी एफ सी बैंक शाखा बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने खाता संख्या 14 की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या 361 रकबा 0.6960 हैक्टर भूमि के 1/3 हिस्से पर ऋण लेकर अपने हिस्से को ले रखा है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 8 व 9 रेवेन्यु वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः वादीग्या न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :-

(क) कि वादीग्या के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा मन्दाखेड़ी प0ह0 शादी तहसील बेगूं की उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 मे खाता संख्या 14 मे अंकित आराजी संख्या 361 रकबा 0.6960 हैक्टर भूमि जो संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्तानुसार वादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ख) कि वादपत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे भी पृथक रूप से खाता वादीगण के नाम पर दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो वो भी प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी संख्या 5,6 व 7 बावजूद सूचना उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 8 व 9 विभाजन के वादपत्र मे फोर्मल पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि कलम संख्या 1 सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस मे भाई बंध नही है, वादीगण ने हिस्सा भूमि खरीद की है एवं वादीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। भूमि मौके पर पडत एवं वादीगण कभी भूमि काश्त नही हुई है। कलम संख्या 3 वादीगण स्वयं प्रमाणित करें। वादपत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है इस भूमि पर कभी भी काश्त नही हुई एवं न ही भूमि काश्त लायक है। जहॉ तक भूमि पर ऋण लेने का प्रश्न है भूमि मे हिस्सा के आधार पर ऋण स्वीकृत होता है।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 5 गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने कभी भी प्रतिवादी सं0 2 व 3 से विभाजन बाबत कोई बातचीत नही की है। कलम संख्या 6 से 11 तक कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। जवाब दावा के विशेष कथन मे अंकित किया है कि वादीगण का वाद मिथ्या कथनो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। वादीगण कब्जे के आधार पर विभाजन चाहते है जबकि वादीगण का किसी भी हिस्सा भूमि पर कब्जा नही है इस प्रकार कब्जे के अभाव मे वाद वादीगण निरस्त होने योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

वादपत्र का जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :-

1- आया कि वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा मन्दाखेड़ी प0ह0 शादी तह0 बेगूं की वादपत्र मे खाता संख्या 14 मे अंकित आराजी संख्या 361 रकबा 0.6960 हैक्टर भूमि जो संयुक्त खातेदारी की आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

खातानुसार वादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति दान कराने का वादीगण अधिकारी है? वादीगण

2– आया कि वादीगण का वाद मिथ्या कथनो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है? प्रतिवादीगण

3– आया कि वादीगण कब्जे के आधार पर विभाजन चाहते है जबकि वादीगण का किसी भी हिस्सा भूमि पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार कब्जे के अभाव में वाद वादीगण निरस्त होने योगय है? प्रतिवादीगण

4– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से वादी लालूराम पिता बालू धाकड ने साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण के उपस्थिती नहीं होने व उनके अधिवक्ता के भी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के कारण जिरह वादी से निल रही है। इस प्रकार दावा पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

इस दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण द्वारा उनका चयन एपीपी के लिए होने से अपना अधिकार पत्र विड्रा किया गया, किन्तु प्रकरण में वादीगण उपस्थित आए तथा अपना खातानुसार विभाजन किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया जाने से पत्रावली में उन्हें सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित है, जिससे वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी पाये जाते है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकार अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा चंदाखेडी पटवार हल्का शादी में स्थित आराजी संख्या 361 रकबा 0.6960 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी में अंकितानुसार रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व कब्जे अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से कमिश्नर फीस राशि 1000/–वसूल कर वर्णित कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त हिस्सानुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ को विभाजन प्रस्तावत भिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री की प्रति भिजवाई गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक /राजस्व (कोर्ट)/2025/600 दिनांक 15.07.2025 के साथ संलग्न फर्द बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस दो प्रति व जमाबंदीयात आराजी के साथ न्यायालय मे प्रेषित किये जिस पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया जिन्होने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना बताते हुए वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है, जिससे वादीगण का वादपत्र मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाने एवं अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चन्दा खेडी पटवार हल्का शादी की कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का निम्नानुसार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1– लालूराम पिता बालूराम 1/2, सीताराम पिता डूंगा 1/2 धाकड सा. देह खातेदार :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
361 मे से	0.2320		0.58
कीता– 01	0.2320 हैक्टर		0.58

2– कैलाशचन्द्र पुत्र नारायण 1/2,सुरेशचन्द्र पुत्र नारायणलाल 1/2,धाकड सा. देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
361 मे से	0.2320		0.57
कीता– 01	0.2320 हैक्टर		0.57

3– पुजा पुत्री शिवलाल 1/3, ममता कुमारी पुत्री शिवलाल 1/3, संजु कुमारी पुत्री शिवलाल 1/3, धाकड सा. देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
361 मे से	0.2320		0.57
कीता– 01	0.2320 हैक्टर		0.57

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज कर खाता अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं